



कार्यालय
आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उत्तर प्रदेश
(पूर्व नाम:- भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0)
आयुर्वेद भवन 32 सरोजनी नायडू मार्ग, लखनऊ

Website-www.bimup.org, Email-bimupup@gmail.com & bimup@yahoo.com Contact No- 0522-3170661

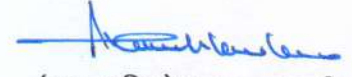
पत्रांक 3278 / बोर्ड-सा0प्रशा0 / 2026

लखनऊ दिनांक 02-09-2026

कार्यालय-ज्ञाप

बोर्ड से सत्र 2025-26 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत उच्च कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति (शिक्षण भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) भुगतान हेतु उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, सीटों की संख्या एवं फीस आदि को अंकित कर उसकी प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाइन इस शर्त/प्रतिबन्ध के साथ सत्यापति करने की अनुमति मा0 नियंत्रक महोदय प्रदान की गई है कि जब तक बोर्ड द्वारा सत्र 2026-27 की मान्यता निर्गत न की जाये तब तक सत्र 2025-26 में मान्यता प्राप्त कोई भी संस्था सत्र 2026-27 में किसी भी छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं करेगी।

अतः मा0 नियंत्रक महोदय के उक्त निर्देश के अनुपालन में बोर्ड से सत्र 2025-26 में मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक/यूनानी फार्मसिस्ट/उपचारिका प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रबन्धकों/ प्रधानाचार्यों को सूचित किया जाता है कि सत्र 2026-27 की मान्यता/सम्बद्धता हेतु पैनल शुल्क रू0 25,000-00 प्रति पाठ्यक्रम का बैंकड्राफ्ट जो कि रजिस्ट्रार, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0, लखनऊ के पक्ष में देय हो, दिनांक 07-09-2026 से 14-09-2026 की सायं 5 बजे तक कार्यालय में जमा करे।


(डा0 अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार

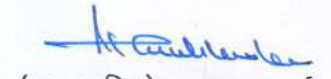
पत्रांक 3278 / बोर्ड-सा0प्रशा0 / 2026

लखनऊ दिनांक 02-09-2026

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

01- बोर्ड से सत्र 2025-26 में मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य ।

02- एस.आर. नेट गोमतीनगर लखनऊ ।


(डा0 अखिलेश कुमार वर्मा)
रजिस्ट्रार